न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार बहक श्री लाडुराम
जरिये पटवार हल्का टापरवाड़ा पुत्र श्री भंवराराम
जाति बावरी नि. टापरवाड़ा

मुकदमा नं. 13 / 2017 राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 07/09/17

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम टापरवाड़ा खसरा नम्बर 39 रकबा 0.9200 हैक्टर किस्म सिवायचक बा०4 (राजकीय भूमि) पर फसल खरीफ संवत 2074 में श्री लाडुराम पुत्र श्री भंवराराम जाति बावरी निवासी टापरवाड़ा (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा मूंग फसल बोकर कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी उपस्थित हुआ। अप्रार्थी की ओर से लिखित में कोई जबाब पेश नहीं किया गया। उक्त ख.नं. मे मूंग की फसल बोकर अतिक्रमण करने की मौखिक हाँ स्वीकार की। उक्त ख.नं. पर बोई गई फसल को कुर्क कर राजहित में लेकर फसल निलामी हेतु निरीक्षक (भू.अ.) रिडु को आदेशित किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम टापरवाड़ा ख.न. 39 रकबा 0.92 है. किस्म सिवायचक बा०4 पर फसल खरीफ संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर मूंग की फसल बोकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :--

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 3/- प्रति है० का 50 गुणा रूपया 13.80 रु० पूर्णांक 14.00 रु० (रूपये चवदह रुपये जुर्माना) शास्ति कायम की जाती है। फसल निलामी, हनुमानराम S/o भंवरराम बावरी सा० टापरवाड़ा रुपये 1250/- निर्णय की क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का टापरवाड़ा भू. अभिलेख निरीक्षक रिडु एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/09/17 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास
जिला - नागौर (राज०)
नायब तहसीलदार, भकरी मौलास (नागौर)